भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES INDIA

(1)

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक– /2017

रिवीजनकर्ता : रामवीर सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह राजपूत, निवासी–ग्राम तूमेन तहसील व जिला अशोकनगर (म0प्र0)

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2198

विरूद्ध

प्रतिरिवीजनकर्तागण : 1. सतीश कुमार पुत्र श्री सटरूलाल जैन, निवासी–अशोकनगर, जिला अशोक नगर (म0प्र0)

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0)

श्री विनोद वर्मा, अभि0 द्वारा आज दि. 13.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13.7.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक ~~/~~ 33/अ/12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2015 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय

अनावेदक/रिवीजनकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक 27.06.2015 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। आदेश दिनांक 27.06.2015 **अनेक्चर–ए/1** हैं।

2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का विधि अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी हैं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2198

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद वर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला अशोकनगर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर</u>**	